



## दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि.-०३/०६/२०२४

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षाकरीता

कराचे बिल (पोचपावती)

वार्ड क्र: ५ मालमत्ता क्र: ३०० भाग क्र: ३००  
मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मै: केरबा धोंडीबा मोरे  
भोगवटदाराचे नाव:  
भाडेकरूचे नाव:  
दुकान / इमारतीचे नाव:

जुना वार्ड क्र: ५ जुना मालमत्ता क्र: २६७  
मालमत्तेचे वर्णन: निवासी  
पत्ता: साठे नगर चौक दौंड  
संगणक क्र.: W3Z3000156



DND5237

| राचे विवरा    | संकलित कर रु | वृक्ष कर रु | अग्निशमन कर रु | वि. स्वच्छता कर रु | शिक्षण उपकर रु | रो. ह. उपकर रु | उपयोगकर्ता शुल्क रु | शास्ती रु दि.३१/०५/२०२४ पर्यंत | अनधिकृत बांधकामावरिल दंडात्मक संकलित कर रु | एकूण कर रु |
|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| थकीत मागणी रु | ५०६          | २१          | ११             | ११                 | १४             |                | ३६०                 | १८९                            |                                            | ११९२       |
| चालु मागणी रु | २२८          | ९           | ५              | ५                  | ४२             |                | ३७८                 |                                |                                            | ६६७        |
| एकूण मागणी रु | ७३४          | ३०          | १६             | १६                 | १३६            |                | ७३८                 | १८९                            |                                            | १८५९       |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती घेणाऱ्याची सही



## दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि.-०३/०६/२०२४

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षाकरीता

कराचे बिल

वार्ड क्र: ५ मालमत्ता क्र: ३०० भाग क्र: ३००  
मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मै: केरबा धोंडीबा मोरे  
भोगवटदाराचे नाव:  
भाडेकरूचे नाव:  
दुकान / इमारतीचे नाव:

जुना वार्ड क्र: ५ जुना मालमत्ता क्र: २६७  
मालमत्तेचे वर्णन: निवासी  
पत्ता: साठे नगर चौक दौंड  
संगणक क्र.: W3Z3000156



DND5237

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार नगर परिषदेचा कर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थात १ एप्रिल रोजी देय होतो. २) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५०(३) अन्वये विल दिल्यापासून १५ दिवसांचे आत विलातील संपूर्ण रकमेचा भरणा केल्यास संकलित करात १ टक्का सवलत मिळेल. ३) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील ( राजपत्र दि.२७/०४/२०१० असाधारण भाग ४ ) मधील सुधारीत कलम १५० अ (१) कमेचा पूर्ण भरणा करेपर्यंत प्रतिमाह २% शास्ती भरावी लागेल व चालु मागणीतील पहिली अर्धवार्षिक रक्कम दि. ३०/०९/२०२४ पर्यंत भरणा करण्यात यावी. त्यानंतर रक्कम भरेपर्यंत २% शास्ती लागेल व चालु मागणीतील दुसरी अर्धवार्षिक रक्कम दि. ३१/१२/२०२४ पर्यंत भरणा करण्यात यावी अन्यथा त्यानंतर रक्कम भरेपर्यंत २% प्रतिमाह शास्ती भरावी लागेल. ४) रक्कम न भरल्यास कलम १५० अ (१) अन्वये एकूण थकीत रकमेच्या प्रतिमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारण्यात येईल. व कर रक्कम दंडासह भरणा करणे बंधनकारक राहील. ५) वेळीत मुदतीच्या कालावधीत कराचा भरणा केला नाही किंवा (अ) पूर्ण कराचा भरणा शास्ती ची रक्कम, व्याज, फी व इतर बाकी रक्कम विहित मुदतीत भरली नाही किंवा (ब) कलम १६९ तरतुदीनुसार अशा विला विरुद्ध अपिल केली नाही, तर अशी रक्कम व तो वसूल करण्याचा सर्व खर्च कलम १५२ अन्वये मुख्याधिकारी यांच्या सहिते वॉरंट (अधिपत्र) मालमत्तेची अटकावणी किंवा जप्ती करून व ती जाहिर लिलावाद्वारे विकून वसुलीस पात्र असेल ६) जम केलेल्या स्यावर मालमत्तेबाबत मा. रक्कमेत आपली स्यावर मालमत्ता ताब्यात घेता येईल. ७) सदर देयक ३१/०५/२०२४ पर्यंत चे वसुली नोंदीस आधिन राहून लागू करण्यात येत आहेत. असल्यास, भरलेली रक्कम सदर विलातून समायोजित केली जाईल.

### सन २०२४-२५ करीता मागणी

| कराचे विवरण                                 | थकीत मागणी रु | चालु मागणी                    |                               | बालु वसुली (असल्यास)<br>पावती पु.<br>पावती क्र<br>दिनांक | सन २०२४-२५ ची<br>एकूण देय मागणी रु |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                             |               | प्रथम अर्धवार्षिक<br>मागणी रु | दुसरी अर्धवार्षिक<br>मागणी रु |                                                          |                                    |
| संकलित कर रु                                | ५०६           | ११४                           | ११४                           |                                                          | ७३४                                |
| वृक्ष कर रु                                 | २१            | ५                             | ४                             |                                                          | ३०                                 |
| अग्निशमन कर रु                              | ११            | ३                             | २                             |                                                          | १६                                 |
| वि. स्वच्छता कर रु                          | ११            | ३                             | २                             |                                                          | १६                                 |
| शिक्षण कर रु                                | १४            | २१                            | २१                            |                                                          | १३६                                |
| रो. ह. उपकर रु                              |               |                               |                               |                                                          |                                    |
| उपयोगकर्ता शुल्क                            | ३६०           | १८९                           | १८९                           |                                                          | ७३८                                |
| शास्ती दि. ३१/०५/२०२४ पर्यंत                | १८९           |                               |                               |                                                          | १८९                                |
| अनधिकृत बांधकामावरिल दंडात्मक संकलित कर रु. |               |                               |                               |                                                          |                                    |
| एकूण कर रु                                  | ११९२          | ३३५                           | ३३२                           |                                                          | १८५९                               |

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

| विवरण                      | जून-२४ | जुलै-२४ | ऑग-२४ | सप्टे-२४ | ऑक्टो-२४ | नोव्हे-२४ | डिसे-२४ | जाने-२५ | फेब्रु-२५ | मार्च-२५ |
|----------------------------|--------|---------|-------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|
| थकीत देय रक्कम रु          | ११९२   | १२१२    | १२३२  | १२५२     | १२७२     | १२९२      | १३१२    | १३३२    | १३५२      | १३७३     |
| पहिली अर्धवार्षिक मागणी रु | ३३५    | ३३५     | ३३५   | ३३५      | ३४२      | ३४८       | ३५५     | ६९४     | ७०८       | ७२०      |
| दुसरी अर्धवार्षिक मागणी रु | ३३२    | ३३२     | ३३२   | ३३२      | ३३२      | ३३२       | ३३२     |         |           |          |
| एकूण देय रक्कम रु          | १८५९   | १८७९    | १८९९  | १९१९     | १९४६     | १९७२      | १९९९    | २०२६    | २०६०      | २०९३     |

झाडे लावा,  
झाडे जगवा



स्वच्छ दौंड  
सुंदर दौंड



कर विभाग प्रमुख  
दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

मुख्याधिकारी